



उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी, का कार्यालय, गुमला।
(पंचायत शाखा)
विज्ञापन

विज्ञापन संख्या103/2021

15वें वित्त आयोग के अनुदान अन्तर्गत अनिवार्य गतिविधियों के संचालन के निमित्त पंचायतों में ग्रामीण निवासियों को सेवाएँ प्रदान करने के क्रम में पंचायतों में कनीय अभियन्ता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु जिला स्तरीय पैनल में चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से निम्न सेवाओं हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र0	सेवा का नाम	पदों की संख्या	ST (47%)	S.C (3%)	BC-I	BC-II	UR (50%)	क्षैतिज आरक्षण संबंधी विवरणी
1	कनीय अभियन्ता	24	11	01	-	-	12	
2	लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	33	15	01	-	-	17	

2. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :

- पैनल में चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे जिसे जिले के वेबसाईट (www.gumla.nic.in) से डाऊनलोड किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र ई-मेल के माध्यम से भी समर्पित किया जा सकता है। जिला पंचायत कार्यालय गुमला का ई-मेल आईडी dprogumla1@gmail.com पर भेजा जा सकता है। परन्तु इसकी भी प्रति स्पीड पोस्ट एवं निबंधित डाक से जिला पंचायत कार्यालय गुमला में कार्यालय अवधि में भेजे जानें होंगे।
- आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग-अलग शुल्क जमा करना होगा।
- आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत् होगा आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर के माध्यम से उपायुक्त, गुमला के पदनाम से जमा करना होगा।

क्र0	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	कनीय अभियन्ता	500/- रुपये	सामान्य
		300/- रुपये	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला
2	लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	500/- रुपये	सामान्य
		300/- रुपये	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला

(e) आवेदन जमा करने की तिथि - 17 मार्च 2021 से 23 मार्च 2021 तक
3. सेवा अनुबंध हेतु पैनल में चयन हेतु योग्यता एवं अन्य शर्तों से संबंधित विवरणी जिले के वेबसाईट (www.gumla.nic.in) पर देखा जा सकता है।

20/-
उपायुक्त,
गुमला।

ज्ञापांक VI-01/2021.....103/ग्रा0पं0, गुमला, दिनांक17/03/2021
प्रतिलिपि :- जिला वेब मैनेजर-सह-अपर समाहर्ता, गुमला को विभागीय अधिसूचना संख्या-395 दिनांक 19.02.2021 एवं पत्र संख्या-447 दिनांक 25.02.2021 की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित है, कि जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, गुमला को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित है, कि उक्त विज्ञापन को दिनांक 15.03.2021 के प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

13/3/21
उपायुक्त,
गुमला।